प्रेषक,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 580/शि0का0लख0/2000 दिनांक जनवरी 18, 2000

विषय- जनपद में केन्द्रीय मिसिलबन्द रजिस्टर खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 मंत्री जी कर एवं निबंधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16-10-99 को सम्पन्न स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिलों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत दर्ज किए जाने वाले मामलों हेतु केन्द्रीय मिसिलबन्द रजिस्टर खोला जायेगा। यह कार्य किसी वरिष्ठ सहायक को सौंपा जायेगा। यह भी अपेक्षा की गई है कि जिला कलेक्टर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उप/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन व अन्य अधिकारीगणों के मध्य जिले के भौगोलिक क्षेत्र का इस प्रकार आवंटन करेंगें जिससे कि स्टाम्पवाद भौगोलिक निर्धारण के अनुसार मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज होने के पश्चात स्थानान्तरित किये जा सकें। भौगोलिक क्षेत्र के निर्धारण से किसी प्रकार का भ्रम अथवा अनिश्चिय की स्थिति नहीं रहेगी और वादाकारियों को भी सुविधा होगी। बैठक में यह भी संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में उक्त सेन्ट्रल मिसिलबन्द रजिस्टर न होने के कारण एक ही लेखपत्र पर एक से अधिक न्यायालयों में वाद विचाराधीन है। इससे जहां अलग-अलग निर्णय होने की संभावना रहती है वहीं पक्षकारों का उत्पीड़न भी होता है। यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी जनपद में सेन्ट्रल मिसिलबंद रजिस्टर में वाद न दर्ज कर अलग-अलग न्यायालयों में वाद दर्ज किए जा रहे हैं तो यह प्रथा तत्काल समाप्त कर दी जाए और इसके अनुपालन में मुझे अविलम्ब सूचित किया जाए। कृपया इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार भी करने का कष्ट करें।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

भवदीय

बी0एम0मीना
महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश,
शिविर, लखनऊ।

संख्या- 580(13) तददिनांकित

प्रतिपिलि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त अपर जिलाधकारी (वि0 एवं रा0), उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

बी0एम0मीना

महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश

शिविर- लखनऊ।